

प्रा/निग०/शहडोल/2018/01399

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर कैम्प रीवा
जिला-रीवा (म०प्र०)

Rs. 20



x 10 = 3

श्रीमती स्व० सत्यभामा पति स्व० मोहन प्रसाद त्रिपाठी

(क) अरविन्द त्रिपाठी पिता श्री मोहन प्रसाद त्रिपाठी उम्र 65 वर्ष
पेशा-प्रायवेट नौकरी, निवासी ग्राम-बरा कोठार रीवा
जिला-रीवा (म०प्र०)

-----निगरानीकर्ता

बनाम्

म०प्र० शासन

-----गेरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश प्रकरण
कमांक-179/स्व० निगरानी/2009-
10 दिनांक 04-08-2010 जो
कमिश्नर शहडोल, संभाग सहडोल,
(म०प्र०) द्वारा पारित की गयी।

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म०प्र०
भू-राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

निगरानी के आधार निम्न है-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निर्णय विधि एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तगी योग्य है।

2. यह कि वर्ष 2010 में तहसीलदार सोहागपुर द्वारा ग्राम-कल्याणपुर, में प्राप्त पट्टे की जाँच का आदेश पारित किया गया जिसके तहत पट्टेधारियों को इस श्रेणी में आँका गया कि कल्याणपुर में जो भी पट्टे हैं उनकी जाँच का पत्र जारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि
16-5-18 - (48)	आवेदक अभिभावक श्री. अ. कुमारी... उपस्थित। 2. माननीय सदस्य महो. का रीवा आगमन नहीं हो सका 3. वास्तु कार्य पर तर्क। पेशी तारीख. 30-5-18 आज्ञा से रीडर गजस्थ मण्डल म.प्र. ग्वालियर मॉकर्ट कोर्ट रीवा	
30-5-18 (29)	आवेदक अभिभावक श्री. देवेन्द्र कुमार... उपस्थित। 2. माननीय सदस्य महो. का रीवा आगमन नहीं हो सका 3. वास्तु कार्य पर तर्क। पेशी तारीख. 8-8-18 आज्ञा से रीडर गजस्थ मण्डल म.प्र. ग्वालियर मॉकर्ट कोर्ट रीवा	N.F. 8/8/18 [Signature]
8-8-18	प्रकलन को वरदायी नहीं।	
9-8-18 (44)	1- आवेदक तथा अभिभावक लक्ष्मी मण्डल लिमिटेड उपस्थित नहीं हैं। आज्ञा से तर्क स्वीकार किया जावे। 2- वाले कापनी पर तर्क। पेशी तारीख 7-9-18	
7.9.18. ✓	सफल। - प्रकलन पेशी आवेदन के श्री अजीत सिंह सुब्बा के उपस्थित। - आज्ञा से आवश्यक पक्षकार हैं। अतः सुनवाई के पूर्व आदेश को भी प्रति दी जाना चाहिए। - अधीनस्थ न्यायालय ने 11/8/18 की ओर 16 पंजीक अनुक्रम से दर्ज	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

4

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... 11/18/13/99 जिला शाहीम

श्री श्री व्य-तत्पाम (निगरी) शासक (अ.प्र.)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	रक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
42	<p>पूर्व पृष्ठ से</p> <p>द्वारा भूमि स्वामियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के अवकाश दिये हैं, जिसके आगामी तिथि 14.7.2011 नियत थी, आगामी कार्यवाही की इस व्यायालय को जानकारी नहीं है।</p> <p>— अक्टूबर 4/8/2010 की आदेश पंजीक के आदेश पर इस व्यायालय में 26.2.18 (अर्थात् लगभग 7 1/2 वर्ष बाद) आये है।</p> <p>— अपेक्षित अति. के तर्कों पर अभिलेख के अवलोकन उपरान्त प्रकरण कार्यवाही योग्य नहीं पाये जाने से प्रकरण अग्रगण्य किया</p>	<p>7/9/18</p> <p>(3)</p>

जाता है।

7.9.18

[क. प. उ.]